

प्रेषक,

आशीष तिवारी
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 17-12-2019

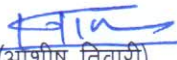
विषय:- सोनभद्र में कनहर सिंचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.675 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 18282 वृक्षों के पातन तथा ओबरा वन प्रभाग की 23.4847 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2928 वृक्षों का पातन अर्थात् 127.1637 हे० आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 21210 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्र सं०-8बी/यू०पी०/०२/३१/२०१८/एफ०सी०/४२५, दिनांक २८.११.२०१९ के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के उपर्युक्त पत्र दिनांक २८.११.२०१९ में की गयी अपेक्षानुसार बिन्दुवार आख्या तत्काल शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

२- यह भी कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम, १९८० के प्राविधानों के अनुसार वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग के बदले क्षतिपूर्ति वनीकरण (Compensatory Afforestation) हेतु चिन्हित/चयनित समतुल्य गैर वनभूमि के प्रकरणों के संबंध में निर्गत शासनादेश सं०-वी०आई०पी०-२३/१४-२-२०१९-१९०जी/२०१८, दिनांक २८ जून, २०१९ में विहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,


(आशीष तिवारी)

विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि:-

- १- प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट ओबरा सोनभद्र, उ०प्र०।
- २- अधिशासी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड-३, पिपरी, सोनभद्र।

आज्ञा से,


(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव